तारीख हुक्म	तेजा V/s नगाराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र० सं० 41/20 धारा -212	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3-2-21	पत्रावली पेश हुई। वादी-प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी बैठक/कानून व्यवस्था/ अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक 4-2-21 को पेश होवें हस्ताक्षर	
4-2-21	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रार्थनापत्र C.P.C. आ० 9 नियम 6 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई, प्रार्थी ने कथन किया कि मौजा सुवेरी, पटवार हल्का सुवेरी, तहसील खेरवाड़ा के खसरा सं. 3946 रकबा 0.29 है०; 3969 रकबा 0.09 है०, 3981 रकबा 0.06 है०, 3982 रकबा 0.06 है०, 3983 रकबा 0.23 है०, 3984 रकबा 0.47 है०, 3998 रकबा 0.23 है०, एवं 4205/3999 रकबा 0.80 है०, कुल किता 8, रकबा 2.23 है० पर प्रार्थी पुश्तैनी समय से काबिज काश्त है एवं उक्त विवादग्रस्त भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार भी है। साक्ष्य के रूप में जमाबन्दी की [illegible] प्रतिलिपि तहसील कार्यालय खेरवाड़ा [illegible] नक्शा पत्र, [illegible] भू प्रबन्धक विभाग द्वारा [illegible] प्रार्थी द्वारा पेश पत्र एवं भूमि की पास- बुक पेश की गई। साथ ही प्रार्थी ने कथन किया कि दिनांक 16-6-2020 को अप्रार्थी प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित आराजीयात में से आराजी [illegible] 3984	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Seervi
Date: 2021.03.17 18:22:34 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतिक्रमण कर उक्त आराजी में थुअर की बाड़ लगाने लगा। जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना खेरवाड़ा को दी गई। परन्तु फिर भी अप्रार्थीगण उक्त आराजीयात में काश्त करने में व्यवधान उत्पन्न कर रहे है। जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी के कथन एवं प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों पर मनन किया गया। वर्तमान स्थिति को देखते हुये प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। चुंकि प्रार्थी रिकोर्डेड खातेदार है, सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है साथ ही वर्षों से प्रार्थी उक्त आराजीयात पर कब्जा काश्त है एवं रिकोर्डेड खातेदार भी है। अप्रार्थी द्वारा बाड़ व पाल तोड़ना जबरन अतिक्रमण करना एवं प्रार्थी को काश्त नही करने देने से प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होना दर्शाता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार [illegible] वाद के निस्तारण तक [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाता है कि उक्त वर्णित विवादग्रस्त भूमि के समस्त खसरों के किसी भी भाग पर अप्रार्थी स्वयं या अन्य किसी के माध्यम से [illegible] नहीं करे, किसी प्रकार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Seervi
Date: 2021.03.17 18:22:34 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	काश्त करने मे किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर सरंक्षा से कम हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खेरवाड़ा, जि. उदयपुर (राज.)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Seervi
Date: 2021.03.17 18:22:34 IST
Reason: SelfAttested